न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी प्रभात त्रिपाठी)
आर.ए.एस

प्रकरण सं.—133/2022

1. किशनसिंह पुत्र श्री अभेय सिंह जाति राजपूत निवासी धान्धों का खेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री समरथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सोलखुर्द तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

उपस्थित :— श्री शिवकुमार जोशी अधिवक्ता प्रार्थी
श्री महावीर गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1
पैराकार सरकार

निर्णय अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 25.01.2023

वकील पक्षकारान उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा सोलखुर्द पटवार हल्का सोलखुर्द भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भिनाय तहसील भिनाय के जमाबंदी संवत 2071—2074 के खाता सं. 18 में दर्ज खसरा नं. 185 रकबा 1.00 है0 किस्म बारानी—2 भूमि को लेकर प्रार्थी ने प्रकरण अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर प्रश्नगत भूमि प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात होने के आधार पर अनाधिकृत कब्जाधारी अप्रार्थी सं. 1 से प्रार्थी को खातेदारी भूमि का कब्जा दिलाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि प्रश्नगत आराजीयात प्रार्थी स्वयं की खातेदारी की आराजीयात है जिस पर अप्रार्थी सं. 1 ने जबरन प्रार्थी की भूमि को नाजायज हथियाने की बदनियति से लाठी के जोर पर अनाधिकृत रूप से अपने कब्जे में कर प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजीयात का सीमाज्ञान भी करवाया गया लेकिन अप्रार्थी सं. 1 तहसील कार्यालय भिनाय द्वारा किए गए सीमाज्ञान को स्वीकार करने को तैयार नहीं है एवं प्रार्थी को जबरन हथियाना चाह रहा है। जिस कारण प्रार्थी को न्यायालय की शरण लिया जाना लाजमी आया है।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता महावीर गुर्जर ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। प्रश्नगत प्रकरण के सत्यापन बाबत नायब तहसीलदार नागोला को मौका कमीश्नर नियुक्त कर प्रश्नगत आराजीयात की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश प्रदान किए गए। प्रकरण के सन्दर्भ में मौका कमीश्नर रिपोर्ट दिनांक 13.01.2023 को पत्रावली में शामिल कर उभयपक्षान को मौका कमीश्नर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

Scanned with CamScanner

रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई। प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1 को पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के बावजूद अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं.1 का जवाब हक बन्द करते हुए पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 द्वारा कोई जवाब/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाना प्रकरण को अनावश्यक विलंब की संज्ञा अन्तर्गत प्रतीत होना पाया जाता है। मौका कमीश्नर रिपोर्ट के आधार पर उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए स्वयं की खातेदारी भूमि का कब्जा दिलाने का निवेदन किया। पैरोंकार सरकार द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत न करते हुए मौका कमीश्नर रिपोर्ट के आधार निर्णय किया जाना न्यायसंगत बताया।

बहस उपस्थित पक्षकारान सुनी गई। प्रकरण में उपलब्ध मौका कमीश्नर रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। प्राप्त रिपोर्ट एवं संलग्न मौका पर्चा पटवार हल्का सोलखुर्द से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की पुष्टि होना पाया जाता है। जो कि धारा 183 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 की भावना के विपरीत है। अतः तहसीलदार भिनाय को यह आदेश दिया जाता है कि ग्राम सोलखुर्द स्थित खसरा नं. 185 रकबा 1.00 है0 भूमि का प्रार्थी को मौके पर मय जरूरत हो तो पुलिस इमदाद कब्जा सुपुर्द कर पालना से 15 दिवस में न्यायालय को अवगत करावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रभात त्रिपाठी)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Scanned with CamScanner